क्रम संख्या :

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण

मुरादाबाद

वर्ष 2018–19

ठेकेदारों के पंजीकरण सम्बन्धी शर्तें एवं आवेदन पत्र

₹ 500.00 + 18% G.S.T.

विशेष सूचना

1. पंजीकरण, नवीनीकरण व उच्चीकरण वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु इस शर्त के साथ किये जाने प्रस्तावित है कि पंजीकरण की वैद्यता अवधि समाप्त होने से पूर्व यदि सम्बन्धित ठेकेदार के चरित्र प्रमाण पत्र अथवा हैसियत प्रमाण पत्र की वैद्यता अवधि समाप्त हो जाती है, तो उसे वैद्यता अवधि समाप्त होने से पूर्व नया चरित्र अथवा हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि नया चरित्र अथवा हैसियत प्रमाण पत्र सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा समयान्तर्गत प्रस्तुत नहीं किया गया जाता है, तो चरित्र अथवा हैसियत प्रमाण पत्र की वैद्यता अवधि समाप्त होने की दिनांक से नया चरित्र अथवा हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक तक की अवधि में सम्बन्धित ठेकेदार का पंजीकरण स्वतः निलम्बित रहेगा व इस अवधि में ठेकेदार निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा व स्वतः जिम्मेदार होंगे।

2. पंजीकरण, उच्चीकरण व नवीनीकरण एक वित्तीय वर्ष हेतु किया जाना है। पंजीकरण, उच्चीकरण व नवीनीकरण हेतु शुल्क प्रशासनिक अनुमोदन के पश्चात् ही जमा कराये जायेंगे। आवेदन के साथ प्रपत्र शुल्क एवं प्रक्रिया शुल्क जमा कराया जाना है।

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

निर्माण/विकास कार्य तथा विद्युतीकरण के कार्य हेतु ....श्रेणी में पंजीकरण/उच्चीकरण/नवीनीकरण
वर्ष 2018–19

आवेदन–पत्र

सेवा में, आवेदन पत्र का क्रमांक :–

मुख्य अभियन्ता,
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण,
मुरादाबाद

1– आवेदक का नाम ....

2– फर्म का नाम ....
(कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत जारी पंजीकरण प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

3– फर्म का पता ....
....

4–अ. स्वामित्व/पार्टनरशिप (प्रति संलग्न करें) (संलग्नक–1) संलग्न हैं/नहीं है

पार्टनरों का नाम/पिता का नाम		जन्म तिथि
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....

ब. क्या फर्म के मालिक /पार्टनर अन्य फर्मो में भी मालिक अथवा पार्टनर है अथवा नहीं ? यदि हैं, तो विवरण प्रस्तुत करें। (एक व्यक्ति केवल एक ही फर्म का मालिक/पार्टनर हो सकता है)

फर्म का नाम	मालिक अथवा पार्टनर का नाम
....	....
....	....
....	....

5– स्टाफ की संख्या, नाम व पते (संलग्नक–2) संलग्न हैं/नहीं है

6– वित्तीय–स्थिति के सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण–पत्र की छायाप्रति (संलग्नक–3) संलग्न हैं/नहीं है

7– पंजीकरण हेतु जिलाधिकारी द्वार निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र एवं सत्यापित निवा स्थान व पता (संलग्नक–4) संलग्न हैं/नहीं है

8– दो नवीनतम फोटो संलग्न करनी होंगी (समस्त भागीदारों की) संलग्न हैं/नहीं है

9– आयकर विभाग से जारी फर्म का पैन नम्बर (संलग्नक–5) संलग्न हैं/नहीं है

10– व्यापार कर विभाग का पंजीकरण एवं क्लियरेन्स सर्टिफिकेट (डी–श्रेणी हेतु आवश्यक नहीं) (संलग्नक–6) संलग्न हैं/नहीं है

11– इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि फर्म का कोई भी पार्टनर अथवा उसका निकट का रिश्तेदार/ब्लड रिलेशन मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में कार्यरत् नहीं हैं (संलग्नक–7) संलग्न हैं/नहीं है

12– निर्माण कार्य हेतु आवश्यक मशीनरी की सूची (संलग्नक–8) संलग्न हैं/नहीं है
(मशीन क्रय किये जाने की रसीद की छायाप्रति संलग्न करें)

13– पिछले तीन वर्षो में किये गये निर्माण/विकास कार्यो की अधिशासी अभियन्ता से सत्यापित सूची (संलग्नक–9) — संलग्न हैं/नहीं है

14– अनुभव प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करें (संलग्नक–10) — संलग्न हैं/नहीं है

विभाग का नाम	वित्तीय वर्ष	धनांक
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....

15– कार्यरत् डिग्री/डिप्लोमा धारक अभियन्ता की डिग्री और डिप्लोमा की प्रतिलिपि एवं उनके नियुक्ति–पत्र की प्रतिलिपि व फोटो (संलग्नक–11) — संलग्न हैं/नहीं है

16– श्रम संविदा (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम 1970 एवं नियमावली 1975 के प्राविधानों के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण–पत्र (संलग्नक–12) — संलग्न हैं/नहीं है

17– विद्युतीकरण के कार्यो के लिये उ0प्र0 राज्य विद्युत सुरक्षा परिषद् के अनुमोदित लाईसेंस की छायाप्रति (संलग्नक–13) — संलग्न हैं/नहीं है

फोटो	फोटो	फोटो	फोटो
नमूना हस्ताक्षर	नमूना हस्ताक्षर	नमूना हस्ताक्षर	नमूना हस्ताक्षर
....	....	....	....
....	....	....	....

फोटो	फोटो	फोटो	फोटो
नमूना हस्ताक्षर	नमूना हस्ताक्षर	नमूना हस्ताक्षर	नमूना हस्ताक्षर
....	....	....	....
....	....	....	....

विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित सभी कार्यवाही जैसे निविदा क्रय करना, अनबन्ध कराना एवं देयकों आदि पर हस्ताक्षर सम्बन्धित ठेकेदार अथवा उसके द्वारा अधिकृत, व्यक्ति के हस्ताक्षर तथा नाम

....

....

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम ....

पता ....

....

....

दिनांक ....

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में ठेकेदारों के पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु नियम व शर्ते

1. अ. पंजीकरण सभी वर्गो के लिए खुले है, इसमें व्यक्ति, अविभाजित हिन्दू परिवार, इण्डियन पार्टनरशिप एक्त के अन्तर्गत पंजीकृत फर्म, पब्लिक अथवा प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी आदि शामिल है।

   ब. भवन के निर्माण एवं विकास कार्य हेतु विभिन्न श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार निम्नानुसार अंकित धनराशि तक कार्य लेने हेतु पात्र होंगे :–

विशिष्ट श्रेणी	–	ऐसे कार्य जिन्हें प्राधिकरण द्वारा विशिष्ट श्रेणी में रखा जायेगा
'ए+' श्रेणी	–	रूपये 200 लाख से अधिक
'ए' श्रेणी	–	रूपये 50 लाख से 200 लाख तक
'बी' श्रेणी	–	रूपये 25 लाख से 50 लाख तक
'सी' श्रेणी	–	रूपये 10 लाख से 25 लाख तक
'डी' श्रेणी	–	रूपये 10 लाख तक

   स. उक्त के अतिरिक्त उ0प्र0 राजकीय, निर्माण निगम उ0प्र0 राज्य सेतु निगम, जल निगम अथवा अन्य प्रादेशिक एवं भारत सरकार के अधीन संस्थायें/उपक्रम पंजीकरण से मुक्त है।

   द. विशिष्ट प्रकार की मशीनरी, पम्प, इंजिन, फर्नीचर, झूले, विद्युत उपकरण आदि हेतु निर्माता अथवा उसके अधिकृत डीलर को पंजीकरण से मुक्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में निहित होगा।

2. निर्माण कार्यो पर संलग्न परिशिष्ट संख्या–एक के अनुसार तकनीकी स्टाफ रखना होगा।
3. पुराने पंजीकृत ठेकेदारों को उनके द्वारा किये गये कार्यो का विवरण एवं वर्क इन हैण्ड का विवरण सम्बन्धित अभियन्त्रण–खण्ड से सत्यापित कराकर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. पंजीकृत ठेकेदारों को विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नियमों के विपरीत आचरण करने पर जैसे कि कार्य की गुणवत्ता खराब करना, कार्य जानबूझकर निर्धारित सयमावधि में पूरा न करना, तथ्यों को छुपाकर विभाग को गुमराह करना, विभागीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों को डरा धमकाकर कार्य करना, प्राधिकरण के अभिलेखों से कपटपूर्ण कार्य करना तथा अभद्र व्यवहार करना आदि पर फर्म को ब्लैक–लिस्ट करने का अधिकार सचिव/मुख्य अभियन्ता को होगा। ब्लैक–लिस्ट होने की दशा में ठेकेदार के समस्त देयक जब्त कर लिये जायेंगे। फर्म के प्रोपराइटर अथवा भागीदार पुनः पंजीकरण हेतु पात्र नहीं होंगे तथा न किसी फर्म के भागीदार हो सकेंगे।
5. इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि कोई भी पार्टनर अथवा निकट का रिश्तेदार मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में कार्यरत् नहीं हैं, रिश्तेदार से तात्पर्य इस सभी से होगा–माता, पिताा, भाई, बहन, पति–पत्नी, पुत्र–पुत्री, जीजा, साला, चाचा, ताऊ, मामा, मौसा, फूफा, भान्जा एवं चचेरा, फूफेरा, ममेरा एवं मौसेरा भाई तथा इन सभी के कोरसपोंडिंग इन लॉ। यदि किसी भी समय इसके विपरीत तथ्य पाया गया तो ठेकेदार का नाम काली सूची में डाल दिया जायेगा।

5\. अ. आवेदनकर्ता को राज्य विधि कौंसिल में पंजीकृत नहीं होना चाहिए।

6. कोई ऐसा व्यक्ति जिसने प्राधिकरण में सेवा की हो तो सेवा निवृत्ति के पश्चात् 02 वर्ष की अवधि समाप्त के बाद ही, वह पंजीकरण हेतु पात्र होगा।
7. यदि कोई ठेकेदार सिविल एवं विद्युत कार्य हेतु पात्रता रखता है, तो उसे पंजीकरण हेतु पृथक–पृथक आवेदन करना होगा।
8. हैसियत प्रमाण–पत्र परिशिष्ट–3 के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर द्वारा निर्गत प्रस्तुत करना होगा।
9. पंजीकृत फर्म के सभी पार्टनरों का जिला मजिस्ट्रेट से चरित्र प्रमाण पत्र एवं निवास स्थान का पता सत्यापन कराकर देना होगा।
10. प्रार्थना पत्र के साथ नवीनतम फोटो संलग्न करनी होगी।
11. विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित सभी कार्यवाही जैसे निविदा क्रय करना, अनुबन्ध करना एवं देयको आदि पर हस्ताक्षर सम्बन्धित ठेकेदार अथवा उसके द्वारा अधिकृत, कोई एक व्यक्ति ही करेगा, का शपथ पत्र देना होगा।
12. फर्म को आयकर कार्यालय द्वारा निर्गत पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
13. निर्माण कार्यो पर संलग्न परिशिष्ट संख्या–2 के अनुसार मशीनरी की व्यवस्था ठेकेदारों को करनी होगी एवं उसकी देखभाग/रख–रखाव आदि का खर्चा स्वयं वहन करना होगा।

14. पंजीकरण/नवीनीकरण शुल्क (जो किसी भी दशा में वापिस न होगा) परिशिष्ट संख्या–3 के अनुसार देय होगा, यह प्रत्येक वर्ष में 31 मार्च तक मान्य होगा।

15. वांछित अभिलेख का आवेदन–पत्र के साथ न जमा करने पर अथवा किन्हीं अन्य कारणों से आवेदन–पत्र निरस्त करने का अधिकार मुख्य अभियन्ता/सचिव, मु0वि0प्रा0 को होगा।

16. पंजीकरण/नवीनीकरण के आवेदन–पत्र को बिना कारण बताये निरस्त/रद्द करने का अधिकार प्राधिकरण रखता है।

17. पंजीकृत ठेकेदार को अपनी श्रेणी के अलावा एक श्रेणी निम्न तक भी कार्य विशेष परिस्थिति में दिया जा सकता है।

18. पंजीकृत ठेकेदार नियमावली, विनियमों, उपविधियों, शासन के सामान्य और विशिष्ट निर्देशों तथा आदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।

19. क्षमता निर्धारण हेतु वर्क इन हैण्ड एवं गत तीन वर्षो में किये गये कार्यो का विवरण संलग्न प्रारूप पर देना होगा, जो सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता से प्रमाणित होना आवश्यक है। (संलग्न परिशिष्ट जी–1)

20. जमानत राशि निर्माण कार्य/विकास कार्य संतोषजनक रूप से पूरा होने के एक वर्ष पश्चात्/अनितम बिल भुगतान के एक वर्ष पश्चात् (जो भी बाद में हो) ही वापिस की जा सकेगी।

21. अ. विशिष्ट श्रेणी निविदा अनुसार निर्धारित की जायेगी।

ब. ए+ श्रेणी में पंजीकरण हेतु ठेकेदारों को गत तीन वर्षो में से कम–से–कम किसी एक वर्ष में रू0 75.00 लाख सिविल/विद्युतीकरण के कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण करने का राजकीय विभागो/राजकीय संस्थाओं का प्रमाण पत्र देना आवश्यक है।

स. 'ए' श्रेणी में पंजीकरण हेतु ठेकेदारों के गत तीन वर्षो में कम–से–कम किसी एक वर्ष में रू0 75.00 लाख सिविल/विद्युतीकरण के कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण करने का राजकीय विभागों/राजकीय संस्थाओं का प्रमाण पत्र देना आवश्यक है।

द. 'बी' श्रेणी में पंजीकरण हेतु ठेकेदारों के गत तीन वर्षो में कम–से–कम किसी एक वर्ष में रू0 50.00 लाख सिविल/विद्युतीकरण के कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण करने का राजकीय विभागों/राजकीय संस्थाओं का प्रमाण पत्र देना आवश्यक है।

प. 'सी' श्रेणी में पंजीकरण हेतु ठेकेदारों के तीन वर्षो में गत तीन वर्षो कम–से–कम किसी एक वर्ष में रू0 25.00 लाख सिविल/विद्युतीकरण के कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण करने का राजकीय विभागों/राजकीय संस्थाओं का प्रमाण पत्र देना आवश्यक है।

फ. 'डी' श्रेणी में पंजीकरण हेतु ठेकेदारों के लिए अनुभव प्रमाण–पत्र की आवश्यकता नहीं है।

नोट : उपरोक्त शर्त संख्या–21 में वर्णित राजकीय विभागों/राजकीय संस्थाओं में किये गये कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण होने चाहिए, जिसका प्रमाण–पत्र सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा देना होगा।

22. एक व्यक्ति ठेकेदार यदि सिविल/विद्युत/यांत्रिक अभियन्त्रण में डिग्री अथवा तीन वर्षीय डिप्लोमा धारक है, तो उसे श्रेणी–'बी' एवं 'सी' में पंजीकरण हेतु अनुभव प्रमाण–पत्र की आवश्यकता नहीं है। किसी फर्म के मालिक अथवा पार्टनर होने की दशा में यह लागू नहीं होगा।

23. यदि कोई ठेकेदार/फर्म विगत तीन वर्ष से पंजीकृत थी, परन्तु वह अपना नवीनीकरण नहीं करा पायी थी, तो उन्हें नवीनीकरण हेतु विगत् वर्षो का नवीनीकरण शुल्क एवं निम्नवत् अर्थदण्ड जमा कराते हुए आवदेन पत्र देना होगा।

श्रेणी		अर्थदण्ड
1. विशिष्ट	–	कार्य की निविदा श्रेणी के अनुसार
2. 'ए+'	–	रूपये 10,000.00 प्रतिवर्ष
3. 'ए'	–	रूपये 7,000.00 प्रतिवर्ष
4. 'बी'	–	रूपये 4,750.00 प्रतिवर्ष
5. 'सी'	–	रूपये 3,000.00 प्रतिवर्ष
6. 'डी'	–	रूपये 1,200.00 प्रतिवर्ष

24. प्रत्येक वित्तीय–वर्ष के आरम्भ में माह–अप्रैल में जब तक कि पिछले से पंजीकृत ठेकेदारों के नवीनीकरण अथवा नये ठेकेदारों के पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक विभिन्न श्रेणियों में पहले से पंजीकृत तथा नये पंजीकरण हेतु आवेदन करने वाले सभी ठेकेदार जिन्होनें नवीनीकरण/पंजीकरण हेतु सभी औपचारिकतायें पूर्ण कर दी हैं, निविदा क्रय/डालने हेतु अधिकृत होंगे।

25. किसी भी विवाद में उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

26. मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को यह अधिकार प्राप्त है कि वह विवाद की मध्यस्थता स्वयं करें या प्राधिकरण के मुख्य अभियन्ता अथवा किसी अन्य अधिकारी को मध्यस्थता हेतु नियुक्त कर दें। इस प्रक्रिया में अन्तिम निर्णय उपाध्यक्ष का मान्य होगा।

27. यदि कोई फर्म/ठेकेदार किन्हीं कारणों से प्राधिकरण द्वारा ब्लैक–लिस्ट कर दी जाती है, तो इस फर्म के मालिक या कोई पार्ट्नर यदि किसी अन्य फर्म का पार्टनर या मालिक है (अन्य विभागों से) तो वह फर्म भी स्वतः ब्लैक लिस्ट हो जायेगी।

28. ठेकेदार का पंजीकरण/नवीनीकरण एक ही फर्म का किया जायेगा। यदि किसी फर्म का मालिक/पार्टनर अन्य फर्म में भी मालिक/पार्टनर पाया जाता है, तो फर्म का पंजीकरण/नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

29. विलोपित।

30. विद्युतीकरण के कार्यो के लिए उ0प्र0 राज्य विद्युत सुरक्षा परिषद से अनुमोदित लाईसेंस लेना अनिवार्य होगा।

31. ठेकेदार द्वारा G.S.T. विभाग का पंजीकरण एवं पिछले वर्ष का क्लियरेंस सर्टिफिकेट देना होगा।

32. आवेदक फर्म को नोटरी से सत्यापित शपथ–पत्र, कि उसे किसी अन्य राजकीय विभाग/राजकीय संस्थान/सार्वजनिक प्रतिष्ठान द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है, देना अनिवार्य होगा।

33. पंजीकरण के समय आवेदन शुल्क रू0 590.00 के अतिरिक्त प्रक्रिया शुल्क भी निम्नानुसार देय होगा, जो किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा व बिना प्रपत्र शुल्क के पंजीकरण के विषय में विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।

	श्रेणी		प्रक्रिया शुल्क
1.	विशिष्ट	–	निविदा श्रेणी के अनुसार
2.	'ए+'	–	रूपये 6,000.00
3.	'ए'	–	रूपये 4,800.00
4.	'बी'	–	रूपये 2,400.00
5.	'सी'	–	रूपये 1,200.00
6.	'डी'	–	रूपये 6,00.00

निर्धारित अवधि के बाद पंजीकरण मुख्य अभियन्ता की अनुमति के उपरान्त ही किया जायेगा एवं अनुमति की दशा में प्रपत्र शुल्क उपरोक्तानुसार दो गुना देय होगा।

34. पंजीकृत ठेकेदार को प्राधिकरण की सामान्य शर्तो, निर्देशों का पूर्णतयाः पालन करना अनिवार्य होगा। निविदा, अनुबन्ध, स्टाम्प ड्यूटी, व्यापार कर, आयकर एवं अन्य के सम्बन्ध में विकास प्राधिकरण अथवा शासन द्वारा जारी निर्देशों अथवा उपर्युक्त नियमों के संशोधन ठेकेदार को मान्य होगा।

35. श्रम संविदा (विनियमन एवं उत्पादन) अधिनियम 1970 एवं नियमावली 1975 के प्राविधान के अन्तर्गत पंजीकरण, श्रमिकों को शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन की देयता एवं नियमावली के अन्तर्गत अनुमन्य सुविधायें अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी। (अन्यथा की स्थिति में नवीनीकरण स्वतः निरस्त माना जायेगा)

36. ठेकेदार निविदा स्वीकृति के पश्चात् उस कार्य को किसी भी दशा में सबलेट नहीं कर सकेगा।

37 फर्म के उच्चीकरण पर विगत वर्षो में पंजीकरण के निरन्तरता के उपरान्त ही विचार किया जायेगा एवं एक बार में एक श्रेणी उच्च तक ही पात्रता के आधार पर किया जायेगा। उच्चीकरण के आवेदन के साथ प्रपत्र शुल्क एवं नवीनीकरण से दो गुना शुल्क जमा कराना होगा।

38. कोई भी शर्त बिना किसी भी पूर्व सूचना के समाप्त, सम्मिलित अथवा संशोधित/शिथिल करने का अधिकार उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में निहित है।

39. यदि आवश्यक समझा गया, तो ठेकेदारों तथा उनके कार्यतर् तकनीकी स्टॉफ को पंजीकरण से पूर्व साक्षात्कार हेतु बुलाया जा सकता है।

40. अधिकृत व्यक्ति का चरित्र प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

उपरोक्त सभी शर्त एवं नियम मुझे/हमें मान्य है।

हस्ताक्षर

मोबाईल/फोन नं0

....

आवेदक का नाम ....

स्थायी पता ....

....

वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता

....

....

परिशिष्ट संख्या–1					
प्रत्येक श्रेणी के निर्माण/विकास कार्यो पर निम्नानुसार तकनीकी स्टॉफ रखना होगा।					
श्रेणी	विशिष्ट ए+ श्रेणी	'ए' श्रेणी	'बी' श्रेणी	'सी' श्रेणी	'डी' श्रेणी
भवन निर्माण, सेतु, सड़क	एक सिविल इंजीनियर डिग्री होल्डर	एक सिविल इंजीनियर डिग्री होल्डर	एक सिविल इंजीनियर डिप्लोमा होल्डर	एक सिविल इंजीनियर डिप्लोमा होल्डर	–
वाटर सप्लाई एवं सीवर	तदैव तथा एक लाईसेंस्ड प्लम्बर	तदैव तथा एक लाईसेंस्ड प्लम्बर	तदैव तथा एक लाईसेंस्ड प्लम्बर	तदैव तथा एक लाईसेंस्ड प्लम्बर	–
विद्युतीकरण का कार्य	एक विद्युत इंजीनियर डिग्री होल्डर तथा एक लाईसेंस्ड इलैक्ट्रीशियन	एक विद्युत इंजीनियर डिग्री होल्डर तथा एक लाईसेंस्ड इलैक्ट्रीशियन	एक विद्युत इंजीनियर डिप्लोमा होल्डर तथा एक लाईसेंस्ड इलैक्ट्रीशियन	एक लाईसेंस्ड इलैक्ट्रीशियन	–

परिशिष्ट संख्या–2						
निर्माण कार्यो पर विभिन्न मशीनरी आदि की सूचना :–						
क्र0सं0	मशीनरी का नाम	'ए+' श्रेणी	'ए' श्रेणी	'बी' श्रेणी	'सी' श्रेणी	'डी' श्रेणी
1.	कंकरीट मिक्सर	2	2	1	1	–
2.	बाईब्रटर्स (प्लेट एवं पिन)	3	3	2	1	–
3.	पम्पस	2	2	1	1	–
4.	शटरिंग (भवन निर्माण के लिए)	500 वर्गमी0	500 वर्गमी0	200 वर्गमी0	100 वर्गमी0	–
5.	डीजल विनचिस 65 टन क्षमता का	2	2	1	–	–
6.	डीजल जनरेटिंग सेट 25 किलोवाट (सेतु के लिए)	1	1	–	–	–
7.	ट्रैक्टर्स (केवल सड़क के लिए)	1	1	–	–	–
8.	शीप फुट रोड रोलर (केवल सड़क के लिए)	2	2	1	–	–

परिशिष्ट संख्या–3				
श्रेणी	कार्य प्राप्त करने की राशि (रूपये में)	पंजीकरण शुल्क	नवीनीकरण	हैसियत प्रमाण पत्र
'ए+'	200 लाख से अधिक	रू0 30,000.00	रू0 15,000.00	रू0 75.00 लाख
'ए'	50 लाख से अधिक व 200 लाख तक	रू0 24,000.00	रू0 12,000.00	रू0 50.00 लाख
'बी'	25 लाख से अधिक व 50 लाख तक	रू0 18,000.00	रू0 9,000.00	रू0 30.00 लाख
'सी'	10 लाख से अधिक व 25 लाख तक	रू0 12,000.00	रू0 6,000.00	रू0 10.00 लाख
'डी'	10 लाख तक	रू0 6,000.00	रू0 3,000.00	रू0 5.00 लाख

विशिष्ट श्रेणी निविदा लागत के अनुसार सम्बन्धित श्रेणी के शुल्क देय होंगे।

- ***यह शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।***

नोट :– *आवेदन पत्र के साथ केवल प्रपत्र शुल्क एवं प्रक्रिया शुल्क जमा करना होगा।*

परिशिष्ट संख्या जी0–1

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	पिछले तीन वर्षो में किये गये कार्यो का विवरण			वर्क इन हैण्ड का विवरण			अधिशासी अभियन्ता के हस्ताक्षर
			नि0 का धनांक	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	नि0 का धनांक	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

क्रमांक :

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

(www.mdamoradabad.org)

ठेकेदार का पंजीकरण/नवीनीकरण वित्तीय वर्ष 2018–19

फोटो

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स/श्री/श्रीमती .... निवासी .... मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में ठेकेदारी के कार्यो हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 तक के लिए श्रेणी .... में सिविल/विद्युत कार्यो के लिए पंजीकृत/नवीनीकृत है।

हस्ताक्षर (प्रोपराइटर/अधिकृत व्यक्ति) नाम	हस्ताक्षर प्रमाणित सहायक अभियन्ता (तकनीकी)	मुख्य अभियन्ता मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद